Australian Government
Australian Taxation Office

कपड़े और उनकी धुलाई-सफ़ाई

टैक्स रिटर्न तैयार करते समय आप क्या क्लेम कर सकते हैं, यह जानना आपके हित में है

आप जिन चीज़ों की ख़रीद और धुलाई-सफ़ाई की कीमत कटौती के रूप में क्लेम कर सकते हैं, वे हैं: **आपके व्यवसाय के लिए विशिष्ट कपड़े, सुरक्षा के लिए कपड़े और अद्वितीय, विशिष्ट यूनिफ़ॉर्म।**

✓ आप अपने व्यवसाय के लिए विशिष्ट कपड़ों के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं।** इसका मतलब है कि कपड़े विशेष रूप से आपके व्यवसाय के लिए हैं, रोज़मर्रा के आम कपड़े नहीं और उन्हें देख कर आम इंसान आपके व्यवसाय का अंदाज़ लगा सकता है।

इसका एक उदाहरण रसोइयों द्वारा पहने जानी वाली चेक पतलून है।

✓ **आप सुरक्षा के उन कपड़ों और जूतों** के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं** जो अपनी आय अर्जित करने के लिए आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से होने वाली बीमारी या चोट के ख़तरे से आपको बचाते हैं। उन कपड़ों द्वारा आपको ख़तरे से पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए।

उदाहरणों में शामिल हैं:

- आग का प्रतिरोध करने वाले या धूप से सुरक्षा प्रदान करने वाले कपड़े
- हाई-विज़ सुरक्षा बनियानें/जैकेटें
- नर्सों के न फिसलने वाले ज़ूते
- स्टील कैप वाले बूट
- ओवरआल, स्मॉक्स और एप्रन जिन्हें आप अपने आम कपड़ों को गंदा होने और नुक़सान से बचाने के लिए पहनते हैं।

✓ **आप अपनी अनिवार्य या जो अनिवार्य नहीं है, उस यूनिफ़ॉर्म** के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं** जो उस संस्थान के लिए अद्वितीय और विशिष्ट है जहाँ आप काम करते हैं।

कपड़ों को:

- **अद्वितीय** माना जाएगा यदि वे केवल उस नियोक्ता के लिए ही बनाए और डिज़ाइन किए गए हैं
- **विशिष्ट** माना जाएगा यदि उन पर नियोक्ता का लोगो स्थायी रूप से लगा है और वे कपड़े आम जनता द्वारा ख़रीद लिए उपलब्ध नहीं हैं।

✗ आप उन कपड़ों की ख़रीद या सफ़ाई के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते** जो आपने अपने काम पर पहनने के लिए ख़रीदे हैं पर जो आपके व्यवसाय के लिए विशिष्ट नहीं हैं, जैसे कि काली पतलून और सफ़ेद कमीज़, या एक सूट, चाहे आपका नियोक्ता कहता है कि उन्हें पहनना अनिवार्य है।

ये कपड़े चलन पर आधारित हैं, आम तौर पर ये विशिष्ट नहीं होते और पर्याप्त रूप से आपके नियोक्ता के लिए विशिष्ट या अद्वितीय नहीं होते।

✗ आप आम कपड़ों की ख़रीद या धुलाई के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते** (जैसे कि जीन्स, ड्रिल शर्ट्स, शॉर्ट्स, पतलून, ज़ुराबें या बूट) क्योंकि ये काम पर होने वाले ख़तरों से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमताएँ नहीं रखते।

काम पर पहनने की अनिवार्य यूनिफ़ॉर्म कपड़ों का एक ऐसा सेट है जो आपको एक ऐसे संस्थान के कर्मचारी की पहचान प्रदान करता है जिसकी नीतियों में आपके लिए काम पर यूनिफ़ॉर्म पहनना अनिवार्य है।

✓ आप उन जूतों, ज़ुराबों और स्टॉकिंग्स के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं** जो एक विशिष्ट, अनिवार्य यूनिफ़ॉर्म का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और जिनकी विशेषताएँ (जैसे कि रंग. स्टाइल और किस्म) आपके नियोक्ता की यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी में लिखी हुई हैं।

✓ आप उस विशिष्ट कपड़े के मद के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं** जो विशिष्ट है, जैसे कि स्वेटर, यदि आपके लिए काम के समय उसका पहनना अनिवार्य है।

यूनिफ़ॉर्म जो अनिवार्य नहीं है, कपड़ों और अन्य वस्तुओं का (सुरक्षा के लिए या व्यवसाय विशिष्ट के लिए नहीं) एक ऐसा सेट है:

- जो किसी नियोक्ता, उत्पाद या सेवा की विशिष्ट पहचान है
- कर्मचारियों के लिए जिसे पहनना अनिवार्य नहीं है।

✓ **काम की यूनिफ़ॉर्म जो अनिवार्य नहीं है,** आप उसके ख़र्चे के लिए कटौती **केवल तभी क्लेम कर सकते हैं** यदि आपके नियोक्ता ने उसका डिज़ाइन ओज़इंडस्ट्री के साथ पंजीकृत किया है।

✗ जूते, ज़ुराबें और स्टॉकिंग्स उस **यूनिफ़ॉर्म** का एक हिस्सा **नहीं हो सकते जिसका काम के समय पहनना अनिवार्य नहीं है**

✗ **काम की यूनिफ़ॉर्म जो अनिवार्य नहीं है,** आप उसके किसी विशिष्ट मद, जैसे कि स्वेटर के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते।**

परिस्थिति	कपड़ों की क़ीमत की कटौती मिलेगी	धुलाई की क़ीमत की कटौती मिलेगी	कारण
आपका नियोक्ता आपसे कहता है कि आप प्लेन काली पतलून और काली पोलो कमीज़ पहनें	✖	✖	ये कपड़े चलन पर आधारित हैं, आपके नियोक्ता के लिए विशिष्ट नहीं हैं।
आपका नियोक्ता आपसे कहता है कि आप प्लेन काली पतलून पहनें और एक कमीज़ देता है जिस पर लोगो बना हुआ है जो आपके नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान है	✖	✔ कमीज़	**कमीज़** आपको वह कमीज़ पहननी है जो आपके नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान है **पतलून** काले रंग की पतलूनें आम हैं और वे किसी नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान नहीं हैं – सिर्फ रंग की आवश्यकता काफ़ी नहीं है
आपका नियोक्ता आपसे कहता है कि आप एक विशिष्ट लोगो वाली कमीज़ ख़रीद कर पहनें और प्लेन काली पतलून पहनें	✔ कमीज़ ✖ पतलून	✔ कमीज़ ✖ पतलून	**कमीज़** आपको कमीज़ ख़रीदनी होगी जो आपके नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान है **पतलून** काले रंग की पतलूनें आम हैं और वे किसी नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान नहीं हैं – सिर्फ रंग की आवश्यकता काफ़ी नहीं है
आपका नियोक्ता आपसे कहता है कि आप एक विशिष्ट लोगो वाली कमीज़ ख़रीद कर पहनें और XYZ की रिटेल दुकान से ख़रीदी हुई प्लेन काली पतलून पहनें	✔ कमीज़ ✖ पतलून	✔ कमीज़ ✖ पतलून	**कमीज़** आपको कमीज़ ख़रीदनी होगी जो लोगो के कारण नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान है **पतलून** बिना लोगो या किसी अन्य ख़ासियत के काली पतलून आपके नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान नहीं है, चाहे आपका नियोक्ता आपको उसे खरीदने के लिए कहता है
आपको एक विशेष स्टाइल और रंग की यूनिफ़ॉर्म ख़रीदनी होगी जो आपके नियोक्ता ने रजिस्टर करवाई है, इसमें एक लोगो वाली कमीज़ और काली पतलून शामिल हैं	✔	✔	आपको एक रजिस्टर करवाई गई यूनिफ़ॉर्म ख़रीदनी होगी जो आपके नियोक्ता की विशिष्ट और अद्वितीय पहचान है
आपका नियोक्ता आपसे कहता है कि जिस स्टोर में आप काम करते हैं, वहाँ से सबसे नए स्टाइल के कपड़े खरीद कर पहनें	✖	✖	यदि आप काम के लिए प्लेन कपड़े पहनते हैं तो आप उनकी कीमत क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वह कपड़े आपके काम करने के स्टोर में बिकते हैं और आपका नियोक्ता आपको उन्हें पहनने के लिए कहता है

रिकॉर्ड रखना

यदि नीचे लिखी दोनों बातें आप पर लागू होती हैं तो आपको सफ़ाई के ख़र्चों के लिए लिखित सबूत रखना होगा, जैसे कि डायरी में की गई एंट्री (जो कम से कम एक महीने के लिए आपकी आम परिस्थितियों को दर्शाती हों) और रसीदें:

- आपके क्लेम की राशि $150 से अधिक है।
- आपके काम से सम्बंधित कुल ख़र्चे $300 से अधिक हैं।

यदि आपको कपड़ों की सफ़ाई के लिए लिखित सबूत रखने की आवश्यकता नहीं है तो आप अपने क्लेम की राशि का युक्तिसंगत अंदाज़ लगा सकते हैं। यदि आप अपने कपड़ों को स्वयं धोते, सुखाते और इस्त्री करते हैं तो हमारे विचार से आपके कपड़ों की सफ़ाई (उन्हें धोना, सुखाना और इस्त्री करना) के क्लेम की राशि का युक्तिसंगत अंदाज़ होगा:

- $1 प्रति लोड यदि उसमें सिर्फ आपके काम से सम्बंधित कपडे ही हैं
- 50 सेंट प्रति लोड यदि आप उसमें अन्य कपड़े भी शामिल करके धोते हैं

अलाउंस

यदि आपको अपने नियोक्ता से कपड़ों की सफ़ाई के लिए कोई अलाउंस मिलता है तो:

- आप केवल अपने वास्तविक ख़र्चे की कटौती का क्लेम ही कर सकते हैं, मिलने वाले पूरे अलाउंस का नहीं
- अलाउंस आपकी कर योग्य आय है, उसे आपको अपने टैक्स रिटर्न में शामिल करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए अपने टैक्स एजेंट से बात करें या **ato.gov.au/clothingandlaundry** पर जाएँ।

n74999-03.2018
c079-00003 HIN